Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त(CEC)

➢ हालिया संदर्भ

- परंपरागत रूप से भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त(CEC) की नियुक्ति उत्तराधिकारी प्रणाली से होती रही है, अर्थात् CEC के पद-मुक्त होने के बाद अगला CEC वही नियुक्त होता है, लेकिन इस बार(पहली बार) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त (नियुक्ति, सेना की शर्तो एवं पदावधि) एक्ट 2023 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया संभावित है।
- वर्तमान CEC राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत हो रहे है। दो अन्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह संधू है, जिनमें ज्ञानेश कुमार वरिष्ठ है।

➢ नया अधिनियम -

- ***वरिष्ठता के कारण ज्ञानेश कुमार अभी भी CEC बनने के रेस में है लेकिन एक्ट की धारा 6 एवं 7 के अनुसार CEC चयन के लिए विधि मंत्रालय 5 नामों का पैनल तैयार करने के लिए विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन करेगा।
- ***CEC के चयन के लिए एक चयन समिति होगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, एक केबिनेट मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होगें।
- ***यह चयन समिति चाहे तो 5 नामों (पैनल द्वारा किए हुए) में से किसी एक को या बाहर से किसी अन्य व्यक्ति को CEC चयनित कर सकती है।
- उपरोक्त चयन प्रक्रिया का वर्णन अधिनियम की धारा-6 में है।
- इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि चयन समिति बाहरी व्यक्ति को भी 0 नियुक्त किए जाने के मामले में सिफारिश कर सकती है।

➢ निहितार्थ-

- इस बदलाव का तात्पर्य है कि 2 चुनाव आयुक्तों के अलावा किसी अन्य को भी अवसर प्रदान करता है, जो आयोग के विश्वसनीयता को मजबूत करेगा।
- इसका एक निहितार्थ यह भी है कि यह प्रक्रिया चुनाव के बाद सरकार बदल जाने पर पिछली व्यवस्था को बदलने का विकल्प प्रदान करता है।

- **यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब चुनाव आयोग पर मतदाता सुची शुद्धता से लेकर 0 की प्रभावशीलता के संबंध में कई आरोप लगाये जाते रहे है।**

➢ धारा-5 एवं 6

- *****अधिनियम की धारा-5 के अनुसार CEC पद के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति वर्तमान या पूर्व सचिव रैंक के अधिकारी होंगें।**
- **धारा-6 में वर्णित है कि कानून एवं न्याय मंत्री (विधि मंत्री) की अध्यक्षता में जो नाम चयन वाली समिति होगी, उसमें 2 अन्य सदस्य भारत सरकार के सचिव से नीचे के पद वाले व्यक्ति हो सकते है।**
- **यह समिति CEC एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए 5 नामों का एक पैनल तैयार करेगी।**
- **यह नया अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लाया गया था। दरअसल पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लाया गया था। दरअसल पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि संविधान निर्माताओं का कोई भी इरादा किसी भी प्रकार से कार्यकारी को विशेष नियुक्तियाँ शक्ति देने का नहीं था।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था नियुक्तियों को पूरी तरह से कार्यपालिका पर छोड़ देने के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए स्थापित की।**

➢ सुप्रीम कोर्ट का फैसला-

- **मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि CEC एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता(लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता) तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति के सिफारिश के आधार पर की जायेगी।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक संसद नियुक्तियों के संबंध में नया कानून नहीं बन लेती, यही प्रक्रिया नियुक्ति के लिए लागू रहेगी।**
- **अंततः दिसंबर 2023 में केन्द्र सरकार वर्णित अधिनियम लेकर आई, लेकिन चयन समिति में से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को जोड़ दिया।**

Note:- ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह सधू की नियुक्ति उपरोक्त प्रावधान के द्वारा ही की गई है।

Note:- यह दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त अधिनियम को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर सुनवाई feb में करेगी, जो चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने से संबंधित है।

➢ पदमुक्ति-

- **इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) होता है।**
- **ये अपने पद से किसी भी समय इस्तीफा देकर पद-मुक्त हो सकते है।**

- CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही संसद द्वारा हटाया जा सकता है।
- इन्हें दुर्व्यव्यवहार या पद के दुरूपयोग का आरोप सिद्ध होने के बाद भी संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है।

➢ हटाने की प्रक्रिया-

- पद से हटाने के लिए महाभियोग की औपचारिकता नहीं होती है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए ही किया जाता ळै।
- निष्कासन प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत(सदन के सदस्यों का 50 से ज्यादा) तथा उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है।

Note:- CEC एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Note:- इन्हें वरीयता के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) के समान दर्जा प्राप्त होता है, तथा उन्हीं के समान वेतन एवं भत्ते मिलते है।

Note:- CEC एवं 2 अन्य आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते समान होते है।

प्रश्न 1. मुख्य चुनाव आयुक्त एंव अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ते एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में गठित चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है-

A. प्रधानमंत्री
B. भारत के मुख्य न्यायाधीश
C. कैबिनेट मंत्री
D. लोकसभा के विपक्ष के नेता

Answer-B

प्रश्न 2. मुख्य चुनाव आयुक्त संबंध में कौन से कथन सत्य है-

1. वरीयता क्रम में इनका स्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामान होता है।

2. इन्हें समय पूर्व पद से हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है।

3. इन्हें दो अन्य चुनाव आयुक्तों के समान ही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते है।

A. केवल 2 एवं 3
B. केवल 1 एवं 3
C. केवल 1 एवं 2

D. 1, 2 एवं 3

Answer- A

मुख्य परीक्षा- नियुक्ति प्रणाली पर कार्यपालिका का वर्चस्व विनाशकारी प्रभाव वाला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त टिप्पणी की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण करे।

Result Mitra

Result Mitra
हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.
1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.
2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹
3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹
4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹
5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹
कोर्स या Test Series के लिए
WhatssApp कीजिये
9235313184, 9235446806